5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

114

नवीन प्रकरण - 2017/3610

# न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल केम्प उज्जैन

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3610

गणपतलाल पिता रामेश्वरजी पाटीदार आयू करीब 60 साल
निवासी ग्राम हनुमन्तिया तहसील जावरा जिला रतलाम :———**प्रार्थी**

**बनाम**

श्री संदीप मेहता अभि. द्वारा केम्प उज्जैन प्रस्तुत 21-9-17

1. समरथ पिता आशराम जाति सुतार आयू 30 साल
2. बालाराम पिता रामेश्वर पाटीदार आयू 62 साल

दोनो निवासीगण ग्राम हनुमन्तिया तहसील जावरा
जिला रतलाम :—— **प्रतिप्रार्थीगण**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959**

(संदीप मेहता) 21/9/17

**अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा ढोढर तहसील जावरा के प्रकरण कमांक 23अ6/16–17 आदेश दिनांक 14.9.2017 से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।**

**मान्यवर महोदय,**

प्रार्थी कि और से निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. यह है कि प्रार्थी (आपत्तिकर्ता) ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा ढोढर तहसील जावरा जिला रतलाम मै प्रकरण कमांक 23अ6/2016–2017 मै धारा 32 म.प्र.भू.रा.स के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र आपत्ति के रूप मै प्रस्तुत किया तथा न्यायालय श्रीमान से निवेदन किया की प्रतिवादी क्रमांक 2 जो भूमि सर्वे नम्बर 347 की भूमि मे से रकबा 0.10 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की है तथा रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक को प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 ने पूरानी खसरा खाता नकल रजिस्टार कार्यालय मै प्रस्तुत कर विक्रय पत्र प्रतिप्रार्थी कमांक 1 को सम्पादीत कर दिया जबकि विक्रय दिनांक 28.4.2016 को भूमि सर्वे नम्बर 347/1 रकबा 1 हेक्टर दर्ज रिकार्ड प्रतिप्रार्थी कमांक 2 के नाम दर्ज था परन्तु प्रतिप्रार्थी ने बनावटी विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के प्रतिप्रार्थी कमांक 1 के पक्ष मै कर दिया उस दिनांक भूमि सर्वे नम्बर 347/1 का प्रतिप्रार्थी कमांक 2 का नाम दर्ज था इसी बिच प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 ने उक्त बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार महोदय ढोढर के न्यायालय मै धारा 109,110 म.प्र.भू.रा.स. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिप्रार्थी कमांक 2 ने राजस्व रिकार्ड मै पेत्रीक कषि भमियो को राजस्व कर्मचारीयो से सात गात कर अपने नाम

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3610

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10/1/19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>(3)<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |